ज़िला कलेक्टर की भूमिका के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय कानूनी प्रणाली, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 15वीं रिपोर्ट , पंचायती राज, अखिल भारतीय सेवाएँ।

मेन्स के लिये:

ज़िला कलेक्टरों की भूमिका और ज़िम्मेदारी के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (दिल्ली स्थित स्वतंत्र थिंक-टैंक)** ने अपनी पुस्तक **"फ्रॉम रूल बाई लॉ टू द रूल ऑफ लॉ"** में ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की भूमिका में सुधार संबंधी सुझाव दिया।

ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार:

- **भूमि और राजस्व** प्रशासन का प्रमुख।
- ज़िला स्तर पर कार्यकारी प्रमुख के रूप में **कानून और व्यवस्था, सुरक्षा और पुलिस संबंधी मामले लाइसेंसिंग और नियामक प्राधिकरण (जैसे शस्त्र अधिनियम), चुनाव के संचालन,** आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा वितरण **का समग्र पर्यवेक्षण** करने के साथ और **मुख्य सूचना** एवं **शिकायत निवारण अधिकारी।**
- **जिलाधिकारी आपातकाल** के समय में ज़िले में सशस्त्र बलों को तैनात व मार्गदर्शन करते हैं।
- इसके अंतर्गत ज़िले में **शस्त्र, विस्फोटक, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करता है।**
- कई राज्यों में, **कलेक्टर** ही ज़िले में जेलों और **किशोर गृहों के उचित प्रबंधन** के लिये ज़िम्मेदार समग्र पर्यवेक्षी प्राधिकरण है।
- **उन्हें विशेष सुरक्षा/अपराध विरोधी कानूनों** के तहत हिरासत आदेश/हिरासत वारंट जारी करने का अधिकार भी है।

ज़िला कलेक्टर की भूमिका के पुनर्गठन की आवश्यकत:

- आधुनिक **संविधान** होने के बावजूद **भारतीय कानूनी प्रणाली** में अभी भी **औपनिवेशिक सत्ता** के अवशेष हैं।
- **ज़िला कलेक्टर** के पदों का नाम देश में अलग-अलग स्थानों पर भिन्न होता है जो इसकी भूमिका और ज़िम्मेदारियों से संबंधित भ्रम पैदा करता है।
  - ज़िला कलेक्टर का पद **अखिल भारतीय सेवाओं** के दायरे में आता है इसलिये नाम पूरे भारत में एक समान होना चाहिये।
- विभिन्न नामकरण **ब्रिटिश-प्रशासित भारत** के विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रशासनिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **स्थानीय शासी निकायों** को शक्तियों और ज़िम्मेदारियों के हस्तांतरण की कमी शासन को अस्थिर करने में निहित हित का संकेत है।
- **संविधान के** अनुच्छेद 50 **में कहा गया है कि "राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये राज्य कदम उठाएगा।"**

निष्कर्ष:

- द्वितीय **प्रशासनिक सुधार आयोग** (Second Administrative Reforms Commission- ARC) की 15वीं रिपोर्ट में ज़िला प्रशासन को शामिल किया गया था।
- पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्थापना के बाद ज़िला प्रशासन के कार्य का पुनर्मूल्यांकन और पुन: परिभाषित करना अब महत्त्वपूर्ण हो गया है।
  - हालाँकि इस बात पर बल दिया गया है कि कई राज्यों में **पंचायती राज संस्थानों** (जिन्हें "पीआरआई" के रूप में भी जाना जाता है) की शुरुआत ने ज़िला कलेक्टरों की भूमिका को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने तक सीमित कर दिया है।
  - स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के हस्तांतरण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिये **15वीं ARC रिपोर्ट** द्वारा इस व्यवस्था पर ज़ोर दिया गया है। इन सबके लिये ज़िला स्तर पर प्रशासनिक तंत्र के संपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/need-to-restructure-the-district-collectors-role